"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 अगस्त 2009— श्रावण 30, शक 1931

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती राही बाई चन्द्राकर पति स्व. रामाधार चन्द्राकर, उम्र करीबन 42 वर्ष, निवासी-गिरधारी नगर दुर्ग, तहसील व जिला -दुर्ग (छ. ग.) की हूं. विवाह पूर्व जन्म प्रमाण-पत्र में भूलवश मेरा नाम राधा बाई पिता श्री प्यारे कुर्मी अंकित हो गया था जो कि गलत है. वर्तमान में मैं विवाहित हूं और मैं अपने नाम को परिवर्तित कर श्रीमती राही बाई चन्द्राकर पति स्व. रामाधार चन्द्राकर रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपत्र पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती राही बाई चन्द्राकर पति स्व. रामाधार चन्द्राकर के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
राधा बाई	श्रीमती राही बाई चन्द्राकर
पिता-प्यारे कुर्मी	पति-स्व. रामाधार चन्द्राकर
निवासी-ग्राम-खैरा	निवासी-गिरधारी नगर, दुर्ग
तहसील-बेमेतरा	तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
जिला-दुर्ग (छ. ग.)	

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा

बी-99, मेन रोड, समता कालोनी, डॉ. पांडे नसिंग होम के पास, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 31 जुलाई 2009

क्रमांक/एल. एफ. ए./प्रशा./वि. परीक्षा/09/423.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित एवं स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग में नियुक्त सहायक संचालकों (द्वितीय बैच) के लिए विभागीय परीक्षा भाग-एक निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार कार्यालय आयुक्त स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर (छ. ग.) आयोजित होगी :-

भाग-एक

क्र. (1)	प्रश्न पत्र (2)	दिनांक (3)	दिन (4)	विषय (5)	अवधि (6)
1.	प्रथम (अ)	24-08-09	सोमवार	संचालक स्थानीय निधि लेखा की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण के अधीन लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण हेतु नियम तथा विनियम (सैद्धांतिक पुस्तक रहित)	01.30 घंटे 10.30 से 12.00 बजे तक.
2.	प्रथम (ब)	24-08-09	सोमवार	संचालक स्थानीय निधि लेखा की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण के अधीन लेखाओं की लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण हेतु नियम तथा विनियम (व्यवहारिक पुस्तक सहित)	02.30 घंटे 2.30 से 05.00 बजे तक.
3.	द्वितीय	25-08-09	मंगलवार	भारतीय संविधान एवं संसदीय वित्तीय नियंत्रण.	03 घंटे 10.30 से 01.30 बजे तक.
4.	तृतीय	25-08-09	मंगलवार	कोषालय लेखा एवं प्रशासन	03 घंटे 2.30 से 5.30 बजे तक.
5.	चतुर्थ	26-08-09	बुधवार	वित्तीय नियम एवं विनियम (सैद्धांतिक पुस्तक रहित)	03 घंटे 10.30 से 01.30 बजे तक.
6.	पंचम	26-08-09	बुधवार	वित्तीय नियम एवं विनियम (व्यवहारिक पुस्तक सहित)	03 घंटे 2.30 से 05.30 बजे तक.
7.	षष्ठम	27-08-09	गुरुवार	वृहत लेखाकर्म	03 घंटे 10.30 से 01.30 बजे तक.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	सप्तम	27-08-09	गुरु वार	कंपनी लेखे	03 घंटे 2.30 से 5.30 बजे तक.

जी. के. पुरें,
उप संचालक/परीक्षा नियंत्रक.

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बिलासपुर, दिनांक 3 अगस्त, 2009

फार्म-4
[नियम देखिये]

[लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1962 के नियम (1) के अंतर्गत]

क्रमांक /234/अ. वि. अ./वा-1/09.— आवेदक श्री राजकुमार केडिया पिता बजरंग लाल केडिया, निवासी विद्यानगर, बिलासपुर के द्वारा " माता वैष्णो देवी ट्रस्ट " स्थान-शिवमंदिर रोड, विद्यानगर, बिलासपुर, छ. ग. को छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत लोक न्यास के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा विचार में लिया जायेगा. इस संबंध में कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में हित रखता है और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता और संपत्ति का विवरण)

1.	ट्रस्ट का नाम और पता	:	माता वैष्णो देवी ट्रस्ट , स्थान-शिव मंदिर रोड, विद्यानगर, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर, छ. ग.
2.	चल संपत्ति	:	निरंक
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

संतोष कुमार देवांगन,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.